न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 11/2021

आर.सी.एम.एस. : 2021/22

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
शोभा कंवर पुत्री स्वं वासुदेव पत्नी श्री लक्ष्मणसिंह लखावत जाति चारण निवासी रेन्दड़ी तहसील सोजत जिला पाली		1. सम्पत कवंर उर्फ उम्मेद कवंर पत्नी स्व. श्री वासुदेव जाति चारण निवासी रामासनी सांदवान तहसील सोजत जिला पाली 2. तहसीलदार सोजत तहसील सोजत जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी

–: निर्णय :–

दिनांकः– 20-2-24

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार सोजत द्वारा स्वीकृत ग्राम रामासनी सांदवान के नामान्तरकरण संख्या 86 दिनांक 25.05.1992 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 को जारी नोटिस तामिल होने के बावजुद अनुपस्थित होने से प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम रामासनी सांदवान में अपीलाण्ट के पिता वासुदेव पुत्र किशोरदान की खातेदारी कब्जाशुदा कृषि भुमि खसरा नम्बर 337 रकबा 0.9800 हैक्टर, खसरा नम्बर 340 रकबा 2.0600, खसरा नम्बर 474 रकबा 2.2900, खसरा नम्बर 706 रकबा 1.6500, खसरा नम्बर 763 रकबा 0.2600 हैक्टर, खसरा नम्बर 764 रकबा 0.2700 हैक्टर, खसरा नम्बर 765 रकबा 0.4000 हैक्टर कुल खसरा नम्बर 07 कुल रकबा 7.91 हैक्टर, खसरा नम्बर 663 हैक्टर 0.9300 हैक्टर खसरा नम्बर 664 रकबा 0.3200 हैक्टर, खसरा नम्बर 79 रकबा 1.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 227 रकबा 1.0700 हैक्टर भूमि स्थित है। अपीलाण्ट के पिता वासुदेव की मृत्यु के पश्चात अपीलाण्ट एवं अपीलाण्ट की माता उम्मेद कवंर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रैणी के विधिक उत्तराधिकारी है, जिनका वासुदेव पुत्र किशोरदान की समस्त सम्पति पर समान अधिकार है एंव जिस पर अपीलाण्ट सयुक्त रूप से जैर आराजी पर काबिज एवं काश्त कर रहे है एवं अपना हक अधिकार अर्जित कर चुके है लेकिन अपीलाण्ट के पिता की मृत्यु पश्चात उनका फौतेदगी नामान्तरकरण भरते समय बिना विधिक वारिसान के नाम की जाचं किये बगैर कैम्प में किसी व्यक्ति द्वारा बताये जाने के आधार पर उम्मेद कवंर के स्थान पर सम्पत कवर दर्ज

अति. जिला कलक्टर, पाली

कर दिया पर वास्तविकता में वासुदेव पुत्र किशोरदान की पत्नी एवं अपीलाण्ट की माता का नाम सम्पत कंवर न होकर उम्मेद कंवर है, लेकिन हल्का पटवारी ने वासुदेव के विधिक वारिशान की जांच किए बिना, उन्हें नोटिस दिए बिना, सुनवाई का अवसर दिए बिना ही सम्पत कंवर के नाम नामान्तरकरण दर्ज कर दिया, जो प्रथम दृष्टया काबिल निरस्त है, जिससे संबधित दस्तावेजात यथा जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, चिरंजीवी कार्ड एंव रा.उ.मा.वि. रामासनी सांदवान के स्थानान्तरण प्रमाण पत्र से स्पष्ट है कि शोभा कवंर वासुदेव एंव उम्मेद कवंर की जाईन्दा पुत्री है एंव हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। ,दिनांक 20.12.2022 को अपीलाण्ट ने अपने हक हिस्से के आधार पर ऋण लेने हेतु नकले लेने के लिए पटवार हल्का से सम्पर्क किया तो नकल लेने पर ज्ञात हुआ की अपीलाण्ट का नाम उक्त आराजी के नामान्तरकरण में नही है एंव साथ ही अपीलाण्ट के पिता वासुदेव की पत्नी का नाम उम्मेद कवंर के स्थान पर सम्पत कंवर दर्ज किया गया तो, बिना किसी प्रकार देरी किए अपील न्यायालय में पेश की, विधि विरूद्ध एवं Ab initio void नामान्तरकरण को निरस्त करने के लिये म्याद का बिन्दु आड़े नहीं आता है, अतः अपील अपीलाण्ट जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरवाया जावें, जैर अपील नामान्तरकरण को निरस्त करावें।

अप्रार्थी को जारी नोटिस तामिल होने के बावजुद अनुपस्थित होने से प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया।

हमने अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व मूल नामान्तरकरण का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा कथन किया गया है कि अपीलाण्ट के पिता वासुदेव पुत्र किशोरदान के देहान्त के पश्चात उनका फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 86 दिनांक 25.05.1992 को दर्ज किया गया, जिसमें अपीलाण्ट हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रथम श्रैणी की उत्तराधिकारी होते हुए अपीलाण्ट को उसके हित अधिकारों से वंचित करते हुए बिना वासुदेव के विधिक वारिसानो की जांच किये जैर अपील नामान्तकरण जारी कर दिया साथ ही अपीलाण्ट की माता का नाम उम्मेद कवंर पत्नी वासुदेव की जगह सम्पत कवर बेवा वासुदेव दर्ज कर दिया गया, जबकि अपीलाण्ट की माता का वास्तविक नाम उम्मेद कवंर है जिसकी ताईद अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, चिरंजीवी कार्ड एंव रा.उ.मा. वि. रामासनी सांदवान के स्थानान्तरण प्रमाण पत्र से होती है है। इससे यह स्पष्ट है कि उम्मेद कवंर एवं सम्पत कवंर एक ही महिला है जैर अपील फौतेदगी नामान्तरकरण जारी करते समय वासुदेव पुत्र किशोरदान के विधिक वारिसानों की जांच किये बगैर केवल मिथ्या जानकारी के आधार पर कैम्प रेपडावास में जैर अपील नामान्तरकण स्वीकृत कर दिया गया जिसे यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार सोजत द्वारा स्वीकृत ग्राम रामासनी सांदवान के नामान्तरकरण संख्या 86 दिनांक 25.05.1992 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार सोजत को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक

अति. जिला कलक्टर, पाली

वासुदेव पुत्र किशोरदान जाति चारण निवासी रामसनी सांदवान तहसील सोजत के विधिक वारिशान की जांच कर, सभी पक्षकारान को सुनवाई का समूचित अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 20-2-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली